FP/UK/Road/38601/2019 **Date-05-06-2021**

With reference to the RO,MOEFCC,GoI letter- dated-22/04/2021

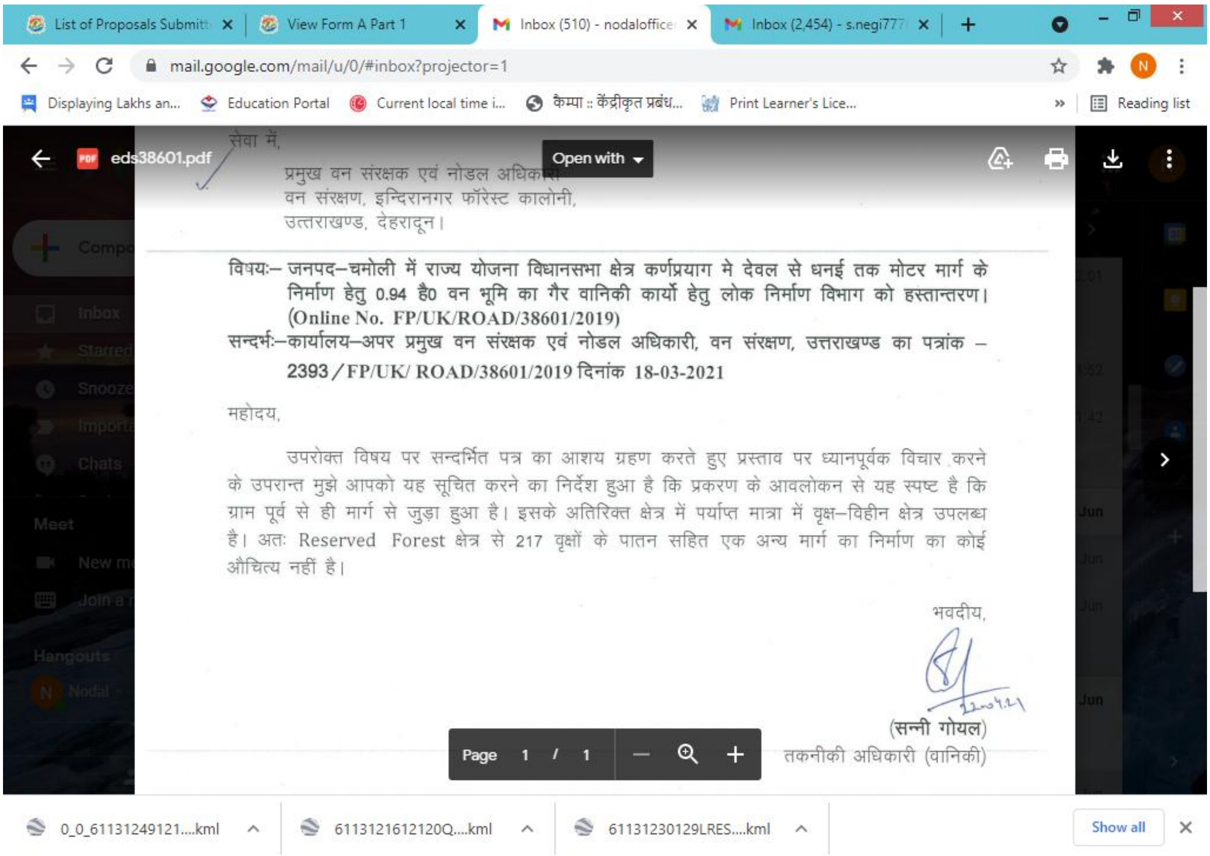

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली में राज्य योजना विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे देवल से धनई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/38601/2019)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2393/FP/UK/ ROAD/38601/2019 दिनांक 18-03-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के आवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पूर्व से ही मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वृक्ष–विहीन क्षेत्र उपलब्ध है। अतः Reserved Forest क्षेत्र से 217 वृक्षों के पातन सहित एक अन्य मार्ग का निर्माण का कोई औचित्य नहीं है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

, reply for the justification is received via letter 5073/12-1 dated 02/06/2021 but the justification given is not satisfactory

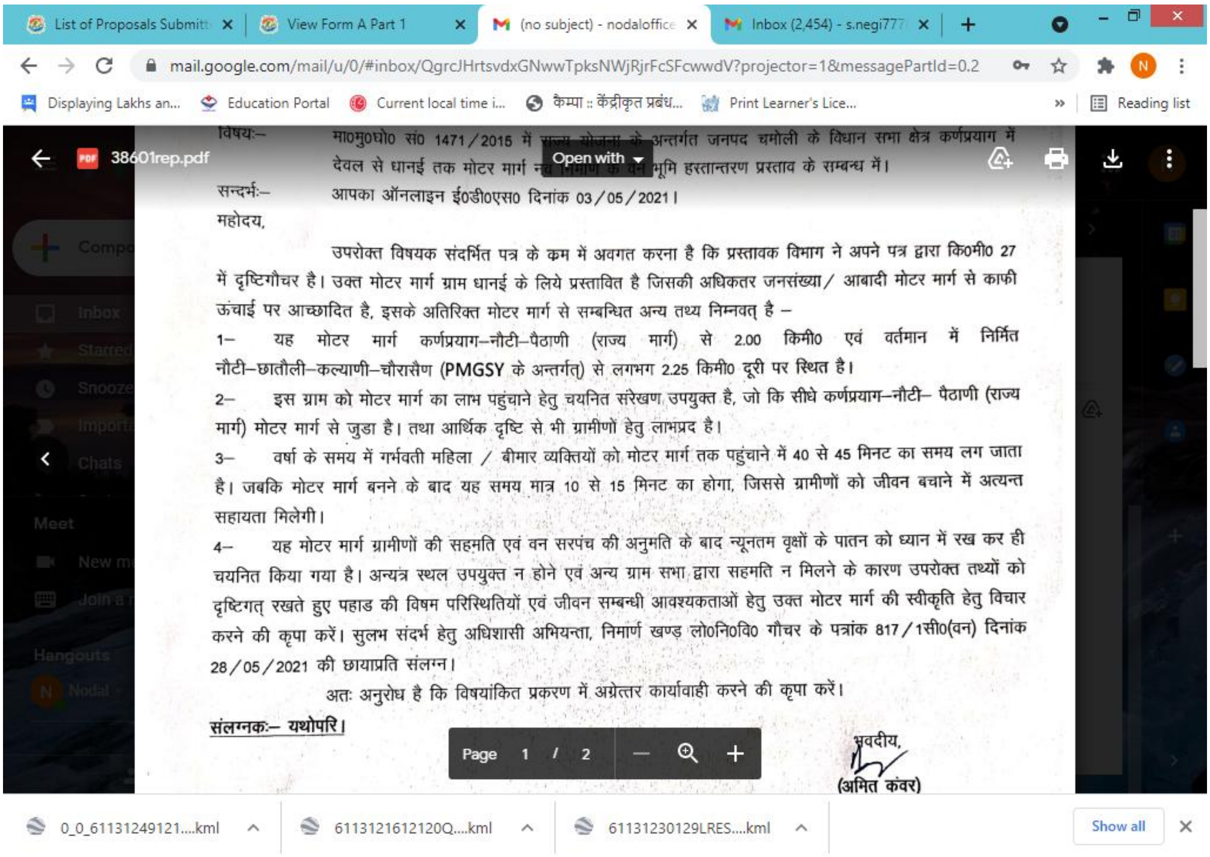

विषयः— माo मुoघोo संo 1471/2015 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग नव निर्माण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 03/05/2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्र द्वारा कि0मी0 27 में दृष्टिगौचर है। उक्त मोटर मार्ग ग्राम धानई के लिये प्रस्तावित है जिसकी अधिकतर जनसंख्या/ आबादी मोटर मार्ग से काफी ऊंचाई पर आच्छादित है, इसके अतिरिक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित अन्य तथ्य निम्नवत् है –

1— यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी (राज्य मार्ग) से 2.00 किमी0 एवं वर्तमान में निर्मित नौटी—छातौली—कल्याणी—चौरासैण (PMGSY के अन्तर्गत्) से लगभग 2.25 किमी0 दूरी पर स्थित है।

2— इस ग्राम को मोटर मार्ग का लाभ पहुंचाने हेतु चयनित संरेखण उपयुक्त है, जो कि सीधे कर्णप्रयाग—नौटी— पैठाणी (राज्य मार्ग) मोटर मार्ग से जुडा है। तथा आर्थिक दृष्टि से भी ग्रामीणों हेतु लाभप्रद है।

3— वर्षा के समय में गर्भवती महिला / बीमार व्यक्तियों को मोटर मार्ग तक पहुंचाने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। जबकि मोटर मार्ग बनने के बाद यह समय मात्र 10 से 15 मिनट का होगा, जिससे ग्रामीणों को जीवन बचाने में अत्यन्त सहायता मिलेगी।

4— यह मोटर मार्ग ग्रामीणों की सहमति एवं वन सरपंच की अनुमति के बाद न्यूनतम वृक्षों के पातन को ध्यान में रख कर ही चयनित किया गया है। अन्यत्र स्थल उपयुक्त न होने एवं अन्य ग्राम सभा द्वारा सहमति न मिलने के कारण उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए पहाड की विषम परिस्थितियों एवं जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु विचार करने की कृपा करें। सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, निमार्ण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक 817/1सी0(वन) दिनांक 28/05/2021 की छायाप्रति संलग्न।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यावाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)

Action to be taken- Joint inspection report to validate the justification.

...........NODAL OFFICE..............